आदे०

न्यायालय ^ जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर०ए०एस०

राजस्व अपील सं. 31 / 2022

अपीलांट्स –

1. सादूलाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी धतरवालो का सरा, छीतर का पार, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. ननगाराम पुत्र रेखाराम
2. पेमाराम पुत्र रेखाराम
3. भंवरलाल पुत्र रेखाराम जातियान जाट निवासियान् धतरवालों का सरा, छीतर का पार, तहसील बायतु जिला बाडमेर
4. राजस्थान राज्य जरिये–
   4.1 उपतहसीलदार बाटाडू
   4.2 तहसीलदार बायतु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./PGKS/2021/591 दिनांक 26.11.2021 जो श्रीमान उपतहसीलदार बाटाडू द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री नरपत पूनड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मांगीलाल कडेला, अधिवक्ता रेस्पो० सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पो० सं. 1 एंव 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.01.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट उपतहसीलदार बाटाडू के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./PGKS/2021/591 दिनांक 26.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि [illegible] धतरवालो का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में अपीलांट व उत्तरदाता संख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या [illegible] / 172 रकबा क्रमशः 3.8508, 0.0405, 0.0243, [illegible] हेक्टेयर [illegible] अपने हिस्सों माफिक [illegible] तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 04 के समक्ष आवेदन प्रशासत गांवों के संग अभियान कैम्प

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

छीतर का पार में दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत कर उत्तरदाता संख्या 01 से 03 द्वारा पटवारी की मिलावट से दिनांक 26.11.2021 को बंटवाडा करवा दिया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र तथा स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। अपीलाधीन अभिलेख तलब किया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अधिवक्ता अपीलांट्स ने निवेदन किया कि मौजा धतरवालो का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में अपीलांट एवं उत्तरदाता सख्या 01 से 03 के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 169, 171, 316, 524 / 172 रकबा क्रमशः 3.8508, 0.0405, 0.0243, 8.5055 हैक्टेयर आए हुए हैं। उक्त भूमि में अपीलांट एवं रेस्पों संख्या 01 से 03 अपने–अपने हिस्सों माफिक बाहमी तौर से किए गए बंटवाडा अनुसार माफिक कृषि जोतो का विभाजन करने बाबत उत्तरदाता संख्या 04 के समक्ष आवेदन प्रशासत गांवों के संग अभियान कैम्प छीतर का पार में दिनांक 26.11.2021 को प्रस्तुत किया जिसमें उत्तरदातागण संख्या 01 से 03 का विश्वास कर अपीलांट ने कुछ खाली पेपरों पर हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशानात किये लेकिन उक्त पेपरों के साथ संलग्न नक्शा में कोई रंग नहीं भरे हुए थे, अपीलांट द्वारा पुछने पर उत्तरदातागण संख्या 01 से 03 द्वारा बताया गया कि उक्त नक्शा में पटवार हल्का मौका पर कब्जा काश्त के अनुसार घर, टांके को बिना प्रभावित करते हुए तथा आवागमन के रास्तों को ध्यान मे रखते हुए सही रंग भरेगें, परन्तु उत्तरदाता संख्या 01 से 03 ने पटवारी से मिलावट कर नक्शा अपनी मर्जी से भरवा कर दिनांक 26.11.2021 को बंटवाडा करवा दिया, जो निरस्त योग्य है। अपीलांट्स व उतरदातागण के मध्य जो बंटवाडा हुआ है वह कब्जे काश्त के अनुसार नहीं हुआ है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने व मौके पर भौतिक कब्जा–काश्त अनुसार नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि दिनांक 06.06.2022 को बारिश पूर्व भूमि सुधार का खेती के [illegible] शुरू किया, तब अपीलांट को उक्त गलत आदेश का [illegible] ने हक संशयप्रद लगे तब अपीलांट ने उक्त [illegible] विभाजन को हल्का पटवारी से नकलें मांगी जो नकले अपीलांट्स को दिनांक [illegible] को प्राप्त हुई। इस पर जानकारी होने से यथा शीघ्र अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने के लिए धारा 5 मयाद अधिनियम का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र अपील के संलग्न प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मयाद शुमार की किये जाने एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का भी निवेदन किया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा धतरवालो का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 169, 171, 316, 524 / 172 रकबा क्रमशः 3.8508, 0.0405, 0.0243, 8.5055 हैक्टेयर आई हुई है। पक्षकारान के मध्य विभाजन कब्जे–काश्त अनुसार नहीं होने से अपीलांट की उक्त अपील स्वीकार योग्य है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 02 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति व उजर ऐतराज नहीं है।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा धतरवालो का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु में खेत खसरा संख्या 169, 171, 316, 524 / 172 रकबा क्रमशः 3.8508, 0.0405, 0.0243, 8.5055 हैक्टेयर भूमि खातेदारान नानगाराम पेमाराम भंवरलाल एवं सादुलाराम पि0 रेखाराम कौम जाट सा. देह धतरवालो का सरा के नाम खातेदारी में दर्ज थी। उक्त खातेदारान ने कृषि जोतो का विभाजन हेतु दिनांक 26.11.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर प्रशासत गांवों के संग अभियान कैम्प छीतर का पार में हलका पटवारी की रिपोर्ट अनुसार उपतहसीलदार बाटाडू द्वारा उक्त अपीलाधीन बंटवाडा आदेश क्रमांक भू.अ. / PGKS / 2021 / 591 दिनांक 26.11.2021 पारित किया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 225 इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.06.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन विभाजन मौके पर भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास के अनुसार नहीं किया गया। जिससे अपीलांट की ढाणी, टांके इत्यादि उतरदाता के हिस्से मे चली गई। पक्षकारान के मध्य हुए बाहमी बंटवाडे अनुसार नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर कब्जे काश्त में भारी भिन्नता है। जिस कारण अपीलांट की ढाणी, टांके इत्यादि उतरदातागण के कब्जे मे चले गये है ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अपील[illegible] अभिकथन को अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 02 द्वारा ताईद करते हु[illegible]न आदेश निरस्त किये जाने बाबत अनापत्ति प्रकट की [illegible]लांट [illegible] कथन में प्रकट किया गया हैं कि पक्षकारान की पृथक[illegible] इत्यादि बने हुए है तथा अपीलाधीन विभाजन मौका कब्जा अनुसार न[illegible]ने से पक्षकारान के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार अधिवक्ता पक्षकारान द्वारा प्रकट तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार बाटाडू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट उपतहसीलदार बाटाडू द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक भू.अ./PGKS/2021/591 दिनांक 26.11.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण उपतहसीलदार बाटाडू को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर,
बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:28 IST
Reason: SelfAttested